

(डी. एस. एम. श्रीनिवासा राव)
 (D.S. SRINIVASA RAO)
 भारतीय अधिकारी
 Passport Officer
 श्रीवालय, काशी, उत्तरांचल
 Regional Passport Office, Varanasi

For more information, call 1-800-368-2772. This Passport contains 36 pages.

P<INDTUMMIDI<<SANTOSH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
U3297683<6IND8406077M30111802073103922720<26



U3297683

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम/ Name of Father / Legal Guardian

SANKAR RAO TUMMIDI

माता का नाम / Name of Mother

SNEHALATA PATRO

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

PUNEETA NAGIREDLA

पता / Address

FF1, SAKUNTALA RESIDENCY, SRI RAMACHANDRA NAGAR**GUNADALA, VIJAYAWADA, KRISHNA****PIN: 520008, ANDHRA PRADESH, INDIA**

पुराने पासपोर्ट का न. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान/ Old Passport No. with Date and Place of Issue

H3186138**25/05/2009****BHUBANESWAR**

फाइल नं / File No.

VJ2073103922720

टिप्पणी / OBSERVATION

महत्वपूर्ण सूचना / IMPORTANT INFORMATION

चेतावनी

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अवधान यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए।

सिस्टम ग्लोबल के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.